न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह

बइजलास श्री शिवराज मीणा आर0 ए0 एस0 उपखण्ड अधिकारी

मि0 नं0 05/2022 ता0 रजू 06.01.2022

उनवान

1. पन्नालाल पुत्र लादू जाति जाट निवासी मेहरू तहसील टोड़ारायसिंह।
2. मोती पुत्र लादू जाति जाट निवासी मेहरू तहसील टोड़ारायसिंह।
3. सीताराम पुत्र लादू जाति जाट निवासी मेहरू तहसील टोड़ारायसिंह।
4. हीरालाल पुत्र लादू जाति जाट निवासी मेहरू तहसील टोड़ारायसिंह।

–वादीगण–

बनाम

1. तहसीलदार/लैण्ड होल्डर तहसील टोडारायसिंह

–प्रतिवादी–

दावा तरमीम दुरूस्ती

आदेश दिनांकः–12.04.2024

वादीगण का मुख्य रूप से कथन है कि आराजी खसरा नं. 719/1 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 चाह वाके ग्राम रामेश्वरपुरा तहसील टोड़ारायसिंह में स्थित हैं। जो वादीगण ने पुक्ता चाह बना रखा हैं, जो वादीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजियात खसरा नं0 722/994 के अड़ाकर पूर्व तरफ स्थित हैं, जो कि वादीगण की उक्त आराजी से करीबन 50 फीट दूरी पर स्थित हैं। वादीगण के पुख्ता चाह की हल्का पटवारी द्वारा तरमीम की गयी हैं वो वादीगण की उक्त अराजियात से करीबन 80 मीटर खसरा नं0 722 के सामने कर दी गयी जो गलत हैं। पटवारी हल्का ने बिना मौका देखे गलत रूप से वादीगण के पुख्ता चाह की तरमीम कर दी गयी जबकि वादीगण की पुख्ता चाह वादीगण की आराजी खसरा नं0 722/994 के अड़ाकर हैं। जिसकी गलत रूप से की गयी तरमीम को वादीगण दुरूस्त करवाने के अधिकारी हैं।

विवाद मूल दिनांक 11.11.2021 को उत्पन्न हुआ जब पटवारी हल्का मेहरू को तरमीम दुरूस्ती बाबत् कहां तो पटवारी हल्का ने दुरूस्त करने से मना कर दिया। इसलिए वादीगण ने यह वाद तरमीम दुरूस्ती का पेश किया हैं।

अतः दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री फरमाया जाकर आराजी खसरा नं0 719/1 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 चाह वाके ग्राम रामेश्वरपुरा तहसील टोड़ारायसिंह की तरमीम वादीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नं0 722/994 रकबा 0.09 है0 वाके ग्राम रामेश्वरपुरा के पूर्व दिशा में जहां मौजूदा चाह स्थित हैं वहां की जावें एवं पटवारी हल्का ने जो गलत तरमीम की हैं। उसके स्थान पर खसरा नं0 722/994 से अडाकर पूर्व दिशा में चाह पुख्ता स्थित हैं, वहां तरमीम की जावें। तद्नुसार तरमीम दुरूस्त की जावें।

वाद वादीगण पेश होने पर तलबी प्रतिवादी की गयी। जिस पर प्रतिवादी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्तमान नक्शा सीट में सहवन से उक्त चाह 719/1 की तरमीम खसरा नं0 722 के सामने कर दी गयी हैं जो गलत हैं। वादीगण पन्ना लाल वगै0 की खातेदारी भूमि खसरा नं0 722/994 के सामने गै0मु0 चाह खसरा नं0 719/1 रकबा 0.01 है0 बना हुआ हैं, इसके बजाये खसरा नं0 719/1 रकबा 0.01 है0 की तरमीम खसरा नं0 722/994 रकबा 0.09 [illegible] फीट दूर पूर्व दिशा में जहां चाह बना हुआ हैं वहां तरमीम किया जाना उचित हैं।

वादीगण ने वाद पत्र के समर्थन में जमाबंदी [illegible] 2076 वाके ग्राम रामेश्वरपुरा खाता संख्या 270 प्रदर्श 01, खाता संख्या 278 प्रदर्श 2, नक्शा सीट प्रदर्श 3, फोटो प्रति नजरी नक्शा, फो[illegible] कुआं खोदने हेतु भूमि आवंटन नियमन आदेश दिनांक 02.04.2005 [illegible] किये। तथा बयानात वादी मो[illegible] गवाह रामकिशन, गवाह गोपालाल के करवायें गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shiv Raj Meena
Date: 2024.05.29 15:55:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

बहस अभि0 वादीगण व पेरोकार सरकार सुनी गई। जो मुख्य रूप से वाद पत्र एवं जवाब के अनुसार रहीं।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 719/1 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 चाह वादीगण के नाम गैर खातेदारी में मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 खतौनी संख्या 278 प्रदर्श 2, के अनुसार दर्ज रिकार्ड हैं। तथा खतौनी संख्या 270 प्रदर्श 1 वादी के खातेदार की आराजी हैं। वर्तमान खसरा नं0 719/1 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 चाह की तरमीम वर्तमान में खसरा नं0 722 के पूर्व में की हुई हैं। जो नक्शा सीट प्रदर्श 3 से साबित हैं जिसके सम्बन्ध में वादीगण का कथन हैं आराजी खसरा नं0 719/1 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 चाह की तरमीम वर्तमान में खसरा नं0 722 के पूर्व कर रखी हैं जो गलत हैं जबकि गै0मु0 चाह खसरा नं0 719/1 रकबा 0.01 है0 वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं0 722/994 के अडाकर हीं 50 फीट दूरी पर स्थित हैं। इसलिए मौके पर स्थित जगह पर तरमीम की जावें। वादीगण के उक्त कथन की पुष्टी तहसीलदार (प्रतिवादी) द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार हो रहीं हैं। जवाब दावें में तहसीलदार ने कथन किया की वर्तमन नक्शा सीट में सहवन से उक्त चाह खसरा नं0 719/1 की तरमीम खसरा नं0 722 के सामने कर दी गयी हैं। जो गलत हैं। वादीगण पन्नालाल वगै0 की खातेदारी भूमि खसरा नं0 722/994 के सामने गै0मु0 चाह खसरा नं0 719/1 रकबा 0.01 है0 बना हुआ हैं। खसरा नं0 719/1 रकबा 0.01 है0 की तरमीम खसरा नं0 722/994 रकबा 0.09 है0 से 50 फीट दूर पूर्व दिशा में जहां चाह बना हुआ हैं। वहां तरमीम किया जाना उचित हैं। इस प्रकार तहसीलदार/लैण्ड होल्ड़र द्वारा जवाब प्रस्तुत कर जवाब अनुसार नक्शा सीट में तरमीम किया जाना उचित बताया हैं।

अतः वाद वादीगण मुताबिक जवाब दावा डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नं0 719/1 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 चाह वाके ग्राम रामेश्वरपुरा तहसील टोड़ारायसिंह की तरमीम वर्तमान नक्शा सीट में खसरा नं0 722 के सामने कर रखी हैं। उसे निरस्त किया जाकर ग्राम रामेश्वरपुरा के आ0ख0 नं0 722/994 रकबा 0.09 है0 से 50 फीट दूर पूर्व दिशा में जहां मौके पर चाह बना हुआ हैं। वहां नक्शा सीट में तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तद्नुसार रिकार्ड राजस्व नक्शा सीट में खसरा नं0 719/1 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 चाह की तरमीम किये जाने बाबत् पर्चा डिक्री मुर्तीब हैं।

आदेश आज दिनांक 12.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल कराया गया।

SW 12/04/2024

(शिवराज मीणा)
आर0 ए0 एस0
उपखण्ड अधिकारी
टोडारायसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Shiv Raj Meena
Date: 2024.05.29 15:55:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner